प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 28.08.2024**

POLICE CRACKDOWN
कमिश्नरेट गाजियाबाद.....
दिनांक 28.08.2024
थाना अंकुर विहार क्षेत्रान्तर्गत हुई वैगनार कार की लूट की घटना का हुआ अनावरण,थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुठभेड के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार/घायल,कब्जे से घटनाओं से सम्बन्धि वैगनार कार बरामद।

घटना / कार्यवाही का विवरण - विगत दिनों थाना अंकुर विहार क्षेत्रान्तर्गत तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति से उसकी वैगनार कार को तमंचे के बल पर लूट करने की घटना कारित की गयी थी। आज दिनांक 28.08.24 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा खन्ना नगर अण्डरपास पर चेकिंग की जा रही थी, तभी सफेद वैगनार कार सवार 03 व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर खजूरी पुस्ते की तरफ भागने का प्रयास किया, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेर लिये जिस पर फिर इन लोगो के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा इन पर फायरिंग की गई जिसमे एक बदमाश घायल हो गया और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गये। घायल अभियुक से इनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम निकेश पुत्र रामनिवास नि0 नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत बताया। घायल अभियुक से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 ज़िंदा कारतूस व 03 अदद खोका कारतूस व लूट से संबंधित वैगनार कार बरामद हुई।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण एंव अग्रिम कार्यवाही का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि हम लोग जंगल के रास्तों तथा सूनसान रास्तो पर आने जाने लोगों से उन्हें तमंचा दिखा कर उनके वाहन व सामान उन से लूट लेते है व लूट किये गये वाहनों से अन्य घटनाओं को अंजाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. निकेश पुत्र रामनिवास नि0 नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निकेश उपरोक्त-
अभि0 के विरुद्ध कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद में थाना अंकुर विहार पर 02 अभियोग दर्ज है।

बरामदगी का विवरण
1 -एक वैगनार कार DL6CR7185
2- एक अवैध असलाह तमंचा 315 बोर 03 खोखा कारतूस,01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

CRACKDOWN
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद,
दिनांक 28.08.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा ,01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस तथा लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

आज दिनांक 28.08.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत बटेर पथ के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक बाइक सवार व्यक्ति फरूख नगर की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो रुका नहीं और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगा पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाए पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है।

पूछताछ का विवरण
पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम रिजवान उर्फ बॉडीगार्ड पुत्र इस्लाम निवासी सरकारी फ्लैट दिनेश नगर जीएस मेडिकल कॉलेज पिलखुवा जनपद हापुड़ बताया जिसके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व चोरी के मुकदमे पंजीकृत है। पूछताछ मैं पता चला कि इसने अपने दो साथियों के साथ चौकी क्षेत्र सीमा बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर के साथ जिसे दिनांक 24.08.2024 को लूट की घटना को अंजाम दिया था।

बरामदगी का विवरण
01 मोटर साइकिल स्पलैन्डर
01 तमंचा ,01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
लूट का 01 मोबाइल फोन मुकदमा अपराध संख्या 664/24 बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
रिजवान उर्फ बॉडीगार्ड पुत्रइस्लाम निवासी सरकारी फ्लैट दिनेश नगर जीएस मेडिकल कॉलेज पिलखुवा जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा जहरखुरानी के एक शातिर हत्यारे को किया गिरफ्तार, कब्जे से मृतक का लूटा गया मोबाईल व 1110 रूपये तथा एक बैग बरामद ।

दिनांक 19/08/24 को थाना कोतवाली नगर गा0बाद की सूचना पर एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 45 वर्ष जिसको थाना क्षेत्र GDA आफिस के समीप पुराना बस अड्डा गाजियाबाद से उपचार हेतु M.M.G अस्पताल गाजियाबाद मे भर्ती कराया गया था जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी थी। थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार GDA आफिस के गार्डो से जानकारी करने पर पता चला कि

इसको टेम्पों से कुछ लोग यहां पर गिराकर गये हैं। उक्त घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर मृतक अज्ञात की जानकारी हेतू थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, लोकल इनपुट, सर्विलांस टीम व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त मनोज राम को जे- 45 पटेलनगर से गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभि0 मनोज राम उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 19/08/2024 को रक्षाबंधन का त्योहार था वह मजदूरी का काम करता है। उस दिन छुट्टी थी वह अपने भांजे के पास नोएडा चला गया था उसने अपने भांजे से संपर्क किया तो उसके भांजे ने बताया कि मै त्रिमूर्ति पर हूँ थोडी देर मे आता हूँ। इसके बाद वह सैक्टर 21 चला गया जहां वह खाने की ठेली पर खाना खाने लगा और शराब पीने लगा। इतने में ही वहाँ एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वह भी शराब पीने लगा था। शराब पीते पीते मनोज राम व मृतक मे आपस में दोस्ती हो गई तो उस अज्ञात व्यक्ति ने फिर अपने पैसे से मनोज राम को ओर शराब पिलाई। अभियुक्त ने मृतक के साथ शराब पी। मृतक को काफी नशा हो जाने पर अभियुक्त मनोज राम ने मृतक के बैंग मे रूपये मोबाईल तथा कपडे देख लिये थे जिसको देखकर अभियुक्त को लालच आ गया था ,फिर अभियुक्त मनोज राम एक पव्वा शराब और लाकर मनोज राम ने पव्वे मे अधिक नशा बढाने वाली गोली रास्ते मे ही मिला दी थी जिससे मृतक को अधिक नशा जाये अथवा उसकी मृत्यु हो जाये और वह उसका सामान लूट सके। वह शराब अभियुक्त ने मृतक को पिला दी थी। जब मृतक को नशा हो गया तो अभियुक्त ने एक टेम्पू रोका और अभियुक्त ने सैक्टर 62 तक टैम्पु किराये पर किया। टेम्पू वाले ने हमें सेक्टर 62 नोएडा उतरने के लिए कहा तो अभियुक्त ने टैम्पु चालक से कहा कि मेरे भाई को नशा ज्यादा है आप हमें पुराना बस अड्डा गाजियाबाद तक छोड दो तो टैम्पु चालक ने 500 रुपये किराये के लेकर अभियुक्त को पुराना बस अड्डा गाजियाबाद जीडीए गेट के पास अभियुक्त व मृतक को उतार देना बताया। अभियुक्त ने उस अज्ञात व्यक्ति को टेम्पो से उतारकर मरणासन्न अवस्था में जीडीए आफिस गेट के पास डालकर उस व्यक्ति के जेब में रखे 3000 रुपये व उसका बैग व मोबाइल लेकर अभियुक्त अपने घर चले जाना बताया। अभियुक्त के कब्जे से मृतक का बैंग मय आई0डी0 आधारकार्ड व अन्य प्रपत्र व मोबाईल व लूट के 3000 रूपये मे से 1110 रूपये तथा मृतक के कपडे अभियुक्त मनोज राम की निशादेही पर बरामद हुये है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. मृतक का लूटा गया मोबाईल सैमसंग कीपैड
2. मृतक का बैग मृतक के कपडे
3. मृतक के लूटे हुये 1110 रूपये

<u>नाम पता अभियुक्त-</u>

1.मनोज राम पुत्र सुखदेव राम नि0 ग्राम चुहाडी थाना चनपटिया जिला बेतिया, बिहार

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त (जिसमें 01 घायल अवस्था में) पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार , जिनके कब्जे से लूटी/चोरी की गयी सफेद/पीली धातु का सामान, नगद रूपये , कैमरे, टैबलेट आदि अन्य सामान व घटना में प्रयुक्त कार एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद।

दिनांक 27.08.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा बिजली घर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। एक कार ब्रेजा सफेद रंग जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रोकी गयी तथा कार को पीछे मोड़कर भागने लगे तो कार पेड़ से टक्करा गयी तथा कार में सावर अभियुक्तगण कार से उतर कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगे। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी अभियुक्तगणों पर फायरिंग की गयी जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया तथा मौके पर 02 अभियुक्त **1. जावेद पुत्र अनवर निवासी मौहल्ला नई बस्ती मोटे के स्कूल के पास कस्बा दादरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर 2. सलमान उर्फ हनीफ पुत्र अकीम उर्फ वकील अहमद निवासी झुग्गी नम्बर 192 सीडी पार्क जहांगीरपुरी थाना जहांगीरपुरी दिल्ली** को डीपीएस चौराहा से संतोष मेडिकल की तरफ सर्विस रोड़ पर घटना में प्रयुक्त कार व चोरी/लूट के सामान एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा 02 अभियुक्त आकाश व नईम अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। घायल अभियुक्त जावेद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम राहगीर एवं घरों में चोरी/लूट की घटना कारित करते है तथा जो भी रूपये सामान ज्वैलरी आदि मिलती है उसे लोग चलते फिरते लोगो को सस्ते दामों पर बेच देते है तथा उनसे प्राप्त रूपयो को हम आपस में बांट लेते है। आज भी हम चोरी/लूट के सामाने को बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

<u>नाम पता अभियुक्त</u>

1. जावेद(घायल) पुत्र अनवर निवासी मौहल्ला नई बस्ती मोटे के स्कूल के पास कस्बा दादरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 36 वर्ष।
2. सलमान उर्फ हनीफ पुत्र अकीम उर्फ वकील अहमद निवासी झुग्गी नम्बर 192 सीडी पार्क जहांगीरपुरी थाना जहांगीरपुरी दिल्ली उम्र 35 वर्ष ।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1. घटना में प्रयुक्त 01 कार ब्रेजा रिजस्ट्रेशन नम्बर (HR31T 8869) चोरी की।
2. 01 अवैध चाकू व 01 तमंचा, 01 जिन्दा , 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. सफेद व पीली धातु का सामान।
4. कैमरे , टेबलेट , घड़ी , मोबाईल चार्जर आदि सामान।

अभियुक्त का अपराध इतिहासः-

अभियुक्त जावेद उपरोक्त पर :- जनपद गौतमबुद्ध में 10 अभियोग लूट/चोरी व अवैध अस्लाह के , 01 गैंगस्टर से सम्बन्धित व कमिश्नरेट गाजियाबाद में 01 अभियोग कुल 12 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त सलमान उर्फ हनीफ पर :-

दिल्ली प्रदेश में 06 अभियोग लूट/चोरी व अवैध अस्लाह से सम्बन्धित व कमिश्नरेट गाजियाबाद में 01 अभियोग कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार जिनके द्वारा स्वंय ही षडयन्त्र कर ACID ATTACK की घटना को कारित कर झूठी सूचना देने वालो को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 व एसिड की खाली बोतल बरामद।

दिनांक 21-08-24 को वादिया श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नी निवासी फ्लैट नं 704 मिगसन सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा मेरे ऊपर जवलनशील पदार्थ/ एसिड फेंक दिया है, जिसके संबंध में वादिया द्वारा अपनी ससुरालीजन व अन्य सोसायटी निवासीगण के विरुद्ध तहरीर थाना पर दी, जिसके क्रम में थाना नन्दग्राम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, घटनास्थल के आस पास लगे, सीसीटीवी, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद ली गयी, विवेचना के क्रम में जब उक्त घटना की गहराई से छानबीन की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादिया श्रीमती प्रिंयका का अपने पति अर्पित कौशिक व ससुरालीजन के साथ पिछले एक वर्ष से विवाद चल रहा है, जिसके चलते प्रिंयका शर्मा द्वारा दवाब बनाने के उद्देशय से अपने पुरुष मित्र पुलकित त्यागी व पूर्व परिचित अंकित के साथ मिलकर अपने उपर जवलनशील पदार्थ/ एसिड अटैक की घटना कारित की गयी। जिसमें अपने पति व ससुरालीजन व अपने पुरुष मित्र पुलकित त्यागी के परिवारीजन पुलकित की पत्नी, भाई, जीजा व बहन का नाम भी एफआईआर में अंकित करा दिया। जिससे पुलकित त्यागी व प्रिंयका का शादी का रास्ता साफ हो जाये, तथा प्रिंयका के पति व उसके परिवारीजन व पुलकित की पत्नी व उसके परिवारीजन को रास्ते से हटाया जा सके। दिनांक 28-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तो (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया।

अभि0 का नाम व पता-

1) अंकित पुत्र मुरारी सिंह निवासी संजय नगर वसन्त कुंज के0डी0एम स्कुल के पास थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।
2) पुलकित त्यागी पुत्र नीरज त्यागी निवासी गली नं0 5 ग्राम वजीराबाद थाना वजीराबाद दिल्ली।
3) श्रीमती प्रिंयका निवासी फ्लैट नं 704 मिगसन सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्ता प्रियंका शर्मा ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादी वर्ष 2018 में अर्पित कौशिक के साथ लव मैरिज की थी, परन्तु कुछ दिन बाद ही मेरे व अर्पित के बीच छोटी छोटी बातो को लेकर विवाद होने लगा। वर्ष 2024 फरवरी माह में मेरी मुलाकात पुलकित त्यागी से हुई , जो की पहले से ही शादी शुदा था, हम दोनो में गहरी दोस्ती हो गयी, तथा दोनो ने आपस में शादी करने तक का सोच लिया था, परन्तु मेरे पति अर्पित कौशिक के साथ मेरा तलाक नही हुआ था,महिला थाना गाजियाबाद में हमारी COUNCELLING चल रही थी, उधर पुलकित की भी अपनी पत्नी के साथ नही बनती थी। दिनांक 21-8-24 को भी हमारी COUNCELLING हुई थी, वहां से अपनी सोसायटी में वापस आकर मैंने अपनी सोसायटी से बाहर निकलकर एक उबर मो0सा0 किराये पर बुक की और अपने पूर्व परिचित ड्राईवर अंकित व पुलकित के साथ षडयन्त्र कर, अंकित के माध्यम से मालीवाडा चौक स्थित राजेन्द्र की दूकान से एसिड खरीदकर पूर्व में बनायी गयी योजना के अनुसार समय करीब 16.00 बजे रास्ते में उबर मो0सा0 को रुकवाकर अंकित अपनी मो0सा0 से वहां पर आया और मैने व अंकित ने साथ में मिलकर मेरे उपर जवलनशील पदार्थ / एसिड पीठ पर डाला जिससे की ज्यादा डैमेज भी ना आये और घटना से सनसनी फैल जाये, और अपने पति अर्पित कौशिक व उसके परिवारीजन व पुलिकित की पत्नी व उसके परिवारीजनो के विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत करा दिया, जिससे मेरा व पुलकित का शादी करने की सारी अडचने एक बार में ही समाप्त हो जाये।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त पुलकित के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर एक अभियोग गाली गलोच व जान से मारने की धमकी के संबंध में पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

एसिड वाली खाली बोतल

घटना में अंकित द्वारा प्रयुक्त मो0सा0 टीवीएस

गिरफ्तार करने वाली टीम—

स्वाट टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर बर्बर हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17-08-24 को वादी श्री अमन स्वामी पुत्र अजय स्वामी निवासी आई-008 केडब्लू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा साला तरुण पवांर दिनांक 16-08-24 की शाम से घर से मोरटी गांव काम से जाने के लिए बता कर निकला था, तब से ही उसका फोन स्विच ऑफ है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम गुमशुदगी क्र0सं0 139/24 पंजीकृत की गयी थी, गुमशुदा का काफी खोज बीन के बाद भी सुराग ना लगने पर दिनांक 20-08-24 को उक्त के क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, दिनांक 24-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तों (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त को दिनांक 27-08-24 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, व घटना में शामिल वांछित अभियुक्त जिते उर्फ जितेन्द्र को दिनांक 28-08-24 गुलधर मैट्रो स्टेशन से आगे भट्टा नं 05 रोड से गिरफ्तार किया गया।

अभि0 का नाम व पता- जिते उर्फ जितेन्द्र पुत्र हरवीर सिंह निवासी गांव सेहरा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जितेन्द्र ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी दीपांशु, अंकित , अंजली ,अक्षय , अंकुर , पवन व वंश के साथ मिलकर तरूण पवांर उपरोक्त की हत्या करने की योजना बनायी थी। दीपांशु व अंकित के मकान मालिक मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना बापूधाम जनपद गाजियाबाद भी हमारी योजना में शामिल थे, हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से तरुण पंवार की हत्या की थी । तरुण पंवार इन्टीरियर डिजाइनिंग का काम करता था तथा अंजली जिसका अपने पति से छुटछुटाव हो गया है जो अक्षय की साली है। तरुण पंवार की अंजली के साथ नजदीकी थी, अजंली को पवन भी चाहता था। दिनांक 16.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से दीपांशु उपरोक्त ने तरूण पंवार को फोन कर घर में इन्टीरियर डिजाइन का काम करने के बहाने से मोरटा में अपने किराये के मकान में बुलाया था जहाँ पवन , वंश, अंकुर, दीपांशु, अंकित व मैं पहले से मौजूद थे। तरुण के आने पर हम लोगों ने उसे अन्दर कमरे में बैठा लिया था और रस्सी डालकर गला दबाया जिससे वह बेसुद हो गया, और उसके साथ मारपीट उसके सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी थी । मैने तरूण का रूमाल से मुँह दबाया था , जब हम यकीन हो गया कि तरुण मर गया, तब मैं और अंकुर वहां से मो0सा0 से निकल गये थे, तथा पवन, वंश, दीपांश व अंकित वही तरुण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं रुक गये थे, जिनके द्वारा बाद में तरुण पंवार की लाश को ठिकाने लगाया गया था।

अभियुक्त आपराधिक इतिहास-

अभि0 जिते उर्फ जितेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना गढमुक्तेश्वर पर पर 01 अभियोग मारपीट, व जान से मारने की धमकी के संबंध में पंजीकृत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 5,50,000/- रुपये कैश बरामद ।

दिनांक 24.08.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादिया द्वारा अपने घर के लॉकर से 7,00,000/- रुपये कैश चोरी हो जाने के सम्बन्ध में अपनी कामवाली के विरुद्ध लिखित तहरीर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुँची तो जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आए जिसके क्रम में कामवाली सीमा के मोबाइल नं0 को सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की सहायता से ट्रैश किया गया । जिसे जनपद मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतारकर थाना टीलामोड़ पर लाकर गहनता से पूछताछ की गई कामवाली का घटना में सम्मलित होना नही पाया गया । तत्पश्चात दिनांक 27.08.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व सर्विलांस तथा मैनुअल इनपुट की सहायता से एवं घटनास्थल

के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद व मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त तारीफ उर्फ शाहरूख पुत्र श्री मेहन्दी हसन निवासी टंकी वाला मोहल्ला मस्जिद के पास गांव चिरोड़ी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को कोयल एनक्लेव बस स्टैण्ड के पास से चोरी के 5,50,000/- नकद रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त तारीफ उर्फ शाहरूख पुत्र श्री मेहन्दी हसन उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त तारीफ उर्फ शाहरूख पुत्र श्री मेहन्दी हसन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं 15 दिन पहले एंजलिना के घर पर कारपेन्टर का काम करने के लिये गया था। मुझे उनके घर पर उनकी अलमारी की तिजोरी की चाबी पड़ी मिली थी। मैनें उस दिन जब मेरे पास कोई नही था तो मैने उस चाबी से अलमारी खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रूपये रखे थे और मैं अपना काम खत्म करके चाबी अपने साथ लेकर चला गया था फिर मैं रोज उनके घर पर नजर रखने लगा। जिस दिन मैने देखा कि एंजलिना कही गई थी। उसका बेटा भी घर पर नही था व इनके घर पर काम करने वाली औरत भी घर से निकल जाती हुई देखी फिर जैसे ही ये सब लोग चले गये तो मैं चुपके से छिपते-छिपाते एंजलिना रंजन के घर चला गया था और मैने उसी चाबी से लॉकर खोलकर लॉकर में रखे सारे रूपये चोरी कर लिये थे। मैने सभी रूपये अपने कपड़ो में और अण्डरगारमेंन्टस में रख लिये और उन्हें पकड़कर धीरे से सोसायटी से निकल गया था। वह सारे रूपये मैने गिने थे। वह कुल 7,00,000/- रुपये कैश थे। आज जो रूपये आपको मुझसे मिले है। ये जो 5,50,000/- रुपये वही बचे हुए रूपये है। बाकी रूपये मैने अपनी मौज मस्ती खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

तारीफ उर्फ शाहरूख पुत्र श्री मेहन्दी हसन निवासी टंकी वाला मोहल्ला मस्जिद के पास गांव चिरोड़ी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी के 5,50,000/- रुपये कैश बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसकी फोटो लेकर उनको वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर आभूषण लेने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आभूषण बेचकर प्राप्त 02 लाख 75 हजार रुपये बरामद।

दिनांक 27.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री से तरुण नाम के व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसकी फोटो लेकर उनको वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर वादी की पुत्री से आभूषण लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 28.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की

सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त तरुण मीणा पुत्र सोम दत्त निवासी 594 बी एक्स1 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को भौपुरा कट के पास शालीमार गार्डन से वादी की पुत्री से प्राप्त आभूषण बेचकर प्राप्त 02 लाख 75 हजार रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त तरुण मीणा पुत्र सोम दत्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त तरुण मीणा पुत्र सोम दत्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे पास 02 लाख 75 हजार रुपये है जो मैने इंस्टाग्राम की आईडी से वादी की पुत्री से दोस्ती कर उसकी फोटो लेकर उनको वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर वादी की पुत्री से आभूषण लिये थे। जिनमें से मैने कुछ आभूषण पहले बेच दिये थे। पहले बेचे हुए आभूषणों के पैसे मैने खर्च कर लिये थे तथा बाद में लिये आभूषण को मैने चलते-फिरते व्यक्ति को मजबूरी बताकर दिल्ली में बेच दिया था। बेचे हुए आभूषण के यह 02 लाख 75 हजार रुपये हैं। जो मुझसे बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

तरुण मीणा पुत्र सोम दत्त निवासी 594 बी एक्स1 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- आभूषण बेचकर प्राप्त 02 लाख 75 हजार रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।